

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 216/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

कृष्ण कुमार पुत्र पदमाराम जाति सुथार साकिन धान्धुसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. पदमाराम पुत्र जगमाल जाति सुथार साकिन मोटेर हाल धान्धुसर तहसील पल्लु।
2. हंसराज पुत्र पदमाराम जाति सुथार साकिन धान्धुसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
3. पुर्णा राम पुत्र पदमाराम जाति सुथार साकिन धान्धुसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
4. मीरा पुत्री पदमाराम पत्नी मनीराम जाति सुथार साकिन कानोर तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. कमला पुत्री पदमाराम पत्नी साहब राम जाति सुथार साकिन कानोर तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. जय कौरी पुत्री पदमाराम पत्नी सतबीर जाति सुथार साकिन मिठनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
7. राजेश्वरी पुत्री पदमाराम पत्नी विनोद कुमार जाति सुथार साकिन भोपालपुरा तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री सुनील देहडू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7

राजपरोकार प्रतिवादी सं. 8

निर्णय दिनांक- 03-06-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी कृष्ण कुमार को रोही मौजा मोटेर के खसरा स0 1033/761 की 7.588 है0 भूमि में से 3.794 है0 पूर्वी पासा की भूमि का,
2. प्रतिवादी स0 2 हंसराज को रोही मौजा मोटेर के खसरा स0 1033/761 की 7.588 है0 भूमि में से 3.794 है0 पश्चिमी पासा की भूमि का,
3. प्रतिवादी स0 3 पुर्णा राम को रोही मौजा मोटेर के खसरा स0 1034/749 की 2.529 है0 सम्पूर्ण व इसी रोही मौजा मोटेर के दुसरे खाता के खसरा स0 459 की 5.678 है0 भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम की 710/2839 हिस्सा की भूमि का खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03-06-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर